B.Com (HONS)
P2 — A/CS (H)
Paper - III. BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

UNIT- IV

TOPIC :— SHARE AND SHARE CAPITAL

(A) **SHARE** :— कंपनी की समस्त पूँजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है. इसे प्रत्येक हिस्से को अंश (SHARE) कहा जाता है. न्यायाधीश फरवेल के अनुसार— "एक अंश कंपनी में अंशधारी का हित होता है, जिसे मुद्रा राशि में व्यक्त किया जाता है जो कि प्रथम रूप से दायित्व के उद्देश्य तथा दूसरे हित के उद्देश्य होता है, परन्तु अधिनियम एवं अन्तर्नियमों के अधीन समस्त अंशधारियों के परस्पर वचन संलग्न होते हैं."

अंश की प्रकृति चल संपत्ति की तरह होती है, जिसका हस्तांतरण कंपनी अन्तर्नियमों के आधार पर किया जा सकता है, तथा इसे गिरवी या बन्धक के रूप में भी रखा जा सकता है. अंशों के धारक को लाभांश पाने का अधिकार होता है, परन्तु लाभांश घोषित किये जाने के पश्चात किये गये हस्तांतरण से अंशधारक को लाभांश प्राप्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है.

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि- अंश का अर्थ- मुद्रा की एक निश्चित राशि में न होकर एक स्वत्व से होता है, जो कि निश्चित राशि द्वारा मापा जाता है. तथा इसमें संविदा के विभिन्न अधिकार सम्मिलित होते हैं —

Scanned with CamSc

कंपनी के अंशों की विशेषता निम्नलिखित है —

— (i) चल संपत्ति के रूप में होना. ([redacted])
— (ii) सरलता पूर्वक हस्तांतरित करना ([redacted])
— (iii) अंशों का प्रमाणपत्र के रूप होना ([redacted])
— (iv) अंश की संख्या निर्धारित होना ([redacted])
— (v) कंपनी रजिस्टर में दर्ज किया जाना ([redacted])

भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार; कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है —

— (i) पूर्वाधिकार अंश (PREFERENCE SHARES)
— (ii) समता अंश (EQUITY SHARES)

(i) पूर्वाधिकार अंश :— कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 (b) के अनुसार, पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो —

— (a) निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार
— (b) समता अंशधारियों से पूर्व लाभांश प्राप्त करना
— (c) कंपनी समापन की स्थिति में समता अंशधारियों से पूर्व पूँजी प्राप्त करना तथा
— (d) शोधन के समय प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार; यदि अन्तर्नियम में ऐसा का उल्लेख है.

पूर्वाधिकार अंशों को निम्न भागों में बांटा गया है —

— (a) संचयी पूर्वाधिकार अंश (Cummulative Preference share)

Scanned with CamSc

(b) असंचयी पूर्वाधिकार अंश
(Non Cummulative Preference shares)

(c) भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश
(Participating Preference shares)

(d) अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश
(Non-Participating Preference shares)

(e) शोधनीय पूर्वाधिकार अंश
(Redeemable Preference shares)

(f) अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश
(Non-Redeemable Preference share)

(g) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
(Convertiable Preference shares)

(h) अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
(Non Convertiable Preference share)

(ii) <u>समता अंश</u> :— कंपनी के वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते है, समता अंश कहलाते है. इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के पश्चात दिया जाता है, यदि कोई लाभ शेष नहीं बचता है तो इन पर लाभांश नहीं दिया जाता है. लाभांश की दर अनिश्चित होती है, तथा कंपनी समापन की स्थिति में इन अंशों की राशी पूर्वाधिकार अंश पूंजी की वापसी के पश्चात वापस की जाती है. ऐसे अंश के धारक वास्तव में कंपनी के मालिक होते है, तथा इन्हें वार्षिक सभा में वोट डालने का अधिकार होता है; एवं कंपनी के कार्यों को नियंत्रित भी करते है.— सामान्य तौर पर कंपनियों के द्वारा समता अंश का ही निर्गमन किया जाता है. —

समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर

आधार	समता अंश	पूर्वाधिकार अंश
1. लाभांश की दर.	इन पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है अर्थात् लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है.	जबकि इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है.
2. लाभांश का भुगतान	इन्हें लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के [redacted] भुगतान के पश्चात् किया जाता है.	जबकि इन्हें लाभांश समता अंशधारियों से पहले दी जाती है.
3. पूँजी वापसी.	कंपनी समापन की स्थिति में इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद पूँजी लौटाई जाती है.	जबकि इन्हें समता अंशधारियों के पहले पूँजी का भुगतान किया जाता है.
4. प्रकार	ये अंश केवल समता अंश के रूप में ही होते हैं. अर्थात् इनका कोई प्रकार नहीं होता.	जबकि पूर्वाधिकार अंश विभिन्न प्रकार के होते हैं.
5. वोट का अधिकार.	इन्हें कंपनी की सभा में वोट देने का पूरा अधिकार होता है	जबकि इसके धारक को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है. केवल विशेष परिस्थितियों के सीमित अधिकार का होना.
6. अनिवार्यता	कंपनी के लिए इन अंशों का निर्गमन करना अनिवार्य होता है.	जबकि इन अंशों का निर्गमन करना अनिवार्य नहीं होता है.
7. शोधन	इन अंश की पूँजी का शोधन केवल कंपनी के समापन पर ही होता है. जीवन काल में नहीं.	जबकि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात् कर दिया जाता है.

Scanned with CamSc